अध्याय-V

विभागों एवं संस्थाओं (पीएसयू के अतिरिक्त) से सम्बन्धित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

अध्याय-V

विभागों एवं संस्थाओं (पीएसयू के अतिरिक्त) से सम्बन्धित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

विभिन्न विभागों/संस्थाओं द्वारा किये गये संव्यवहारों की नमूना जाँच में पाये गए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों को इस अध्याय में सम्मिलित किया गया हैं।

लोक निर्माण विभाग

5.1 'वित्तीय नियमों के उल्लंघन के कारण निधियों के व्यपवर्तन और अनियमित पार्किंग' पर लेखापरीक्षा प्रस्तर

प्रस्तावना

5.1.1 उत्तर प्रदेश का लोक निर्माण विभाग (लो.नि.वि.) सड़कों एवं पुलों के निर्माण, सुधार सुदृढ़ीकरण और रखरखाव का कार्य करता है।

बिटुमिन एवं इमल्शन सामग्रियों का उपयोग नई सड़कों के निर्माण, सड़कों के चौड़ीकरण और मरम्मत में किया जाता है। ये सामग्रियाँ विभाग द्वारा इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) एवं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) से क्रय की जाती है और सम्बन्धित कार्यों को निर्गत की जाती है। विभाग ने बिटुमिन एवं इमल्शन आदि के क्रय हेतु तेल कम्पनियों को अग्रिम धनराशि प्रदान की। ये अग्रिम विभिन्न कार्यों पर प्राप्त आवंटन से दिये गये थे और इन अग्रिमों एवं क्रय के लिए धन का कोई पृथक आवंटन उपलब्ध नहीं था।

बिटुमिन एवं इमल्शन के क्रय और उसके उपयोग के लिए तेल कम्पनियों को इन अग्रिमों के भुगतान की नमूना जाँच दस लोक निर्माण खण्डों में की गयी (जून 2022 एवं अक्टूबर 2022 के मध्य) और निम्नलिखित कमियाँ पायी गयीं।

लेखापरीक्षा परिणाम

अनुदान व्यपगत होने से बचाने के लिए, नकद साख सीमा (सीसीएल) के व्यपवर्तन द्वारा निधियों की अनियमित पार्किंग

5.1.2.1 उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल में प्रावधान है कि सभी अंतिम बचत 25 मार्च तक वित्त विभाग को सौंप दी जानी चाहिए और किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी माने जायेंगे। अग्रेतर, उत्तर प्रदेश सरकार की वित्तीय हस्तपुस्तिका (खण्ड-VI) के प्रस्तर 196 में प्रावधान है कि प्राप्तियों और स्टॉक जारी करने के सभी लेनदेनों को नियमों के अनुसार, कड़ाई से घटित होने के क्रम में और घटित होते ही दर्ज किया जाना चाहिए। काल्पनिक स्टॉक समायोजन कड़ाई से प्रतिबन्धित हैं, जैसे (1) अनावश्यक अथवा वास्तविक आवश्यकताओं से अधिक सामग्री की लागत

को किसी कार्य पर डेबिट करना, (2) किसी अन्य कार्य, जिसके लिए कोई विनियोग स्वीकृत नहीं किया गया है, पर उपयोग करने के इरादे से किसी कार्य विशेष, जिसके लिए धन उपलब्ध है, को उक्त मूल्य की सामग्री से डेबिट करना, (3) विनियोग आदि पर अतिरिक्त परिव्यय से बचने के लिए किसी कार्य पर उपयोग की गयी सामग्री के मूल्य का अपलेखन। इन नियमों का कोई भी उल्लंघन गंभीर वित्तीय अनियमितता का गठन करता है।

जैसा कि कार्यालय ज्ञापन[1] में उल्लिखित है, नकद साख सीमा (सीसीएल) और निक्षेप साख सीमा (डीसीएल) की धनराशि किसी भी परिस्थिति में एक-दूसरे में परिवर्तित नहीं की जाएगी। सीसीएल और डीसीएल का अलग-अलग खाता कोषागार में रखा जायेगा।

लोक निर्माण खण्डों के दस में से आठ[2] खण्डों की नमूना जाँच से प्राप्त अभिलेखों और सूचनाओं की जाँच में पाया गया कि विगत तीन वित्तीय वर्षों (2019-20 से 2021-22) में आईओसीएल एवं एचपीसीएल को मुख्य रूप से मार्च[3] माह में बिटुमिन प्राप्ति के लिए 1,765 कार्यों पर सीधे भारित करते हुए ₹ 117.79 करोड़ धनराशि (नकद साख सीमा से) के अग्रिम दिये गये **(परिशिष्ट-5.1)**।

अग्रेतर विश्लेषण से पाया गया किः

- आईओसीएल एवं एचपीसीएल को दिये गये ₹ 117.79 करोड़ अग्रिम में से, ₹ 30.80 करोड़ धनराशि का मात्र 5,617.361 मीट्रिक टन बिटुमिन प्राप्त किया गया और कार्यों पर उपयोग किया गया। इनमें से, ₹ 0.99 करोड़ धनराशि का 182.515 मीट्रिक टन बिटुमिन, 15 कार्यों[4] पर सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में आईओसीएल से प्राप्त हुआ और शेष ₹ 29.81 करोड़ धनराशि का 5,434.846 मीट्रिक टन बिटुमिन, सम्बन्धित वित्तीय वर्षों की समाप्ति के बाद आईओसीएल/एचपीसीएल से खण्डों को प्राप्त हुआ, अधिकतर एक से 12 माह के दौरान एवं 23 प्रकरणों में अग्रिम के 13 से 33 माह बाद में प्राप्त हुए। इससे प्रदर्शित होता है कि सम्बन्धित वर्षों के मार्च माह में बिटुमिन के लिए अग्रिम भुगतान करने की कोई अत्यावश्यकता नहीं थी।

---

[1] सं ए-2-47/दस-97-10(9)/95 लखनऊ दिनांक 3 मार्च 1997।

[2] नि.ख.-2 फतेहपुर, प्रा.ख. प्रयागराज, नि.ख.-3 प्रयागराज, प्रा.ख. महाराजगंज, प्रा.ख. देवरिया, नि.ख. (भवन) लखनऊ, प्रा.ख. मऊ, नि.ख.-2 बिजनौर (नजीबाबाद); शेष दो खण्डों (प्रा.ख. बस्ती एवं प्रा.ख. बहराइच) में, खण्डों द्वारा विशिष्ट सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी।

[3] प्रा.ख. देवरिया एवं नि.ख.-2 फतेहपुर में क्रमशः माह फरवरी 2020 एवं दिसम्बर 2021 में भी अग्रिम धनराशि दी गयी।

[4] नि.ख.-2 फतेहपुर का एक कार्य वर्ष 2020-21 तथा 14 कार्य वर्ष 2021-22 से सम्बन्धित हैं।

- आईओसीएल/एचपीसीएल को बिटुमिन की आपूर्ति के लिए भुगतान किये गये अग्रिम में से, ₹ 65.99 करोड़[5] 2019 से 2023 के दौरान आईओसीएल/एचपीसीएल द्वारा वापस कर दिया गया और सीसीएल से डीसीएल में निधियों के गैर अंतरण के सम्बन्ध में सरकार के निर्देशों का उल्लघंन करते हुए निक्षेप शीर्ष (डीसीएल) में क्रेडिट किया गया।

इस प्रकार, बजट प्रावधान को व्यपगत होने से बचाने के लिए, तेल कम्पनियों को दिये गये अग्रिमों को खण्डों द्वारा, कार्यों पर कोई वास्तविक व्यय किये बिना, कार्यों पर सीधे भारित करके व्यय के रूप में दिखाया गया था। यद्यपि अगले 33 माह तक खण्डों को इन अग्रिमों के बदले कुछ बिटुमेन/इमल्शन चरणों में प्राप्त हुए थे, तेल कम्पनियों के पास अवशेष धनराशि वापस ले ली गयी और अग्रेतर उपयोग के लिए डीसीएल में परिवर्तित की गयी। इससे वित्त लेखाओं में व्यय का गलत चित्रण हुआ, जबकि धनराशि डीसीएल में परिवर्तित कर दी गयी थी।

विभाग ने उत्तर में कहा (जून 2023) कि मार्च 2020 में कोरोना लॉकडाउन के कारण कार्य कराना संभव नहीं था। वर्ष 2021-22 के दौरान, विधानसभा आम चुनाव की आचार संहिता के कारण, निविदा प्रक्रिया बाधित हो गयी, जिससे शेष रह गये आवंटन को सीधे कार्यों पर भारित किया गया और तेल कम्पनियों को अग्रिम के रूप में दे दिया गया। बाद में, टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होने और ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण करने के बाद, तेल कम्पनियों से धनराशि वापस ले ली गयी और सक्षम प्राधिकारी द्वारा डीसीएल के रूप में अनुमोदित की गयी। तदुपरान्त, इसको उन कार्यों पर व्यय किया गया जिनपर इसको भारित किया गया था।

उत्तर से स्वतः स्पष्ट है कि तेल कम्पनियों को अग्रिम, उनको व्यपगत होने से बचाने और भविष्य में इसके उपयोग करने की व्यवस्था बनाने हेतु दिया गया था, जबकि सरकार के मौजूदा नियमों/निर्देशों के अन्तर्गत, किसी भी प्रकरण में सीसीएल के धन को डीसीएल में परिवर्तित करने की अनुमति नहीं थी।

यह संस्तुति की जाती है कि वित्तीय नियमों, विभागीय परिपत्रों और निर्देशों का अनुपालन न करने पर प्राधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जा सकती है।

तेल कम्पनियों के पास अभी भी बकाया पड़ी धनराशि

5.1.2.2 विभागाध्यक्ष द्वारा सभी खण्डों को आईओसीएल/एचपीसीएल के पास उपलब्ध शेष अग्रिम वापस प्राप्त करने के लिये और इसे तीन कार्य दिवसों[6]

[5] यह तेल कम्पनियों के पास संचित अधिशेष के सापेक्ष खण्डों को प्राप्त वापसी है।

[6] अंतिम तिथि 18.01.2023।

के अन्दर उचित लेखा शीर्ष में जमा करने हेतु विशिष्ट आदेश[7] (जनवरी 2023) दिये गये थे अन्यथा सम्बन्धित अधिशासी अभियंताओं से 18 प्रतिशत की दर से ब्याज की वसूली की जाएगी।

इन आदेशों के बावजूद, यह पाया गया कि नमूना जाँच किये गये दस खण्डों में जून 2023 तक एचपीसीएल/आईओसीएल के पास ₹ 10.37 करोड़ **(परिशिष्ट-5.2)** की धनराशि पड़ी हुई थी।

विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया (जून 2023) और बताया कि शेष धनराशि वापस ले ली जाएगी और कोषागार में जमा कर दी जाएगी।

निधियों का आवंटन एवं उपयोग

5.1.2.3 बजट मैनुअल के अध्याय XV के प्रस्तर 174 (4) के अनुसार, सरकारी अधिकारियों द्वारा व्यय करना आवश्यक शर्तों में से एक द्वारा शासित होता है कि व्यय, वित्तीय औचित्य के व्यापक सामान्य सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। अग्रेतर, अव्ययित और असमर्पित विनियोजन और देर से आवंटन को वित्तीय अनियमितताओं में से एक के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

तथापि, किये गये दस लोक निर्माण खण्डों की नमूना जाँच में से सात[8] में, अप्रैल 2019 से मार्च 2022 **(परिशिष्ट-5.3)** की अवधि के दौरान निधियों के आवंटन के विश्लेषण से यह पाया गया कि:

- वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान 56.24 प्रतिशत से 71.16 प्रतिशत तक निधियों का आवंटन मार्च से पूर्व किया गया।
- वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान 5.55 प्रतिशत से 12.65 प्रतिशत तक निधियों का आवंटन पहली मार्च से 15 मार्च के मध्य किया गया।
- वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान 13.57 प्रतिशत से 28.37 प्रतिशत तक निधियों का आवंटन 16 मार्च से 25 मार्च के मध्य किया गया।
- वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान 2.75 प्रतिशत से 9.72 प्रतिशत तक निधियों का आवंटन 26 मार्च से 31 मार्च के मध्य किया गया।

अतः 2019-20 से 2021-22 के दौरान खण्डों को वार्षिक निधि आंवटन का 28.84 प्रतिशत से 43.76 प्रतिशत मार्च माह में किया गया। यह भी पाया गया कि तेल कम्पनियों को 95.03 प्रतिशत अग्रिम मार्च माह में दिये गये

---

[7] 181 लेखा शा/14 लेखा/2022-23 दिनांक 28.12.2022 एवं 166 लेखा शा/14 लेखा/2022-33 दिनांक 12.01.2023।

[8] नि.ख. (भवन) लखनऊ, नि.ख.-2 फतेहपुर, नि.ख.-3 प्रयागराज, प्रा.ख. प्रयागराज, प्रा.ख. महाराजगंज, नि.ख.-2 बिजनौर (नजीबाबाद), प्रा.ख. देवरिया। प्रा.ख. बस्ती, प्रा.ख. बहराइच एवं प्रा.ख. मऊ में, खण्डों द्वारा विशिष्ट सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी।

और शेष वर्ष के दौरान तेल कम्पनियों को केवल 4.97 प्रतिशत अग्रिम दिये गये **(परिशिष्ट-5.4)**।

इस प्रकार, आवंटित निधियों का उपयोग सम्बन्धित वित्तीय वर्षों के दौरान खण्डों द्वारा पूर्ण रूप से नहीं किया जा सका। प्रावधानों के अनुसार व्यय न की गयी धनराशि को समर्पित करने के बजाय, आईओसीएल एवं एचपीसीएल को अग्रिम प्रदान कर इसे व्यय के रूप में दिखाया गया।

विभाग ने कहा (जून 2023) कि कोरोना परिस्थितियों के कारण खण्डों ने निर्धारित प्रक्रियाओं का पूर्णतः पालन नहीं किया है, परन्तु इस प्रकरण में कोई वित्तीय हानि नहीं हुई है। 01.04.2022 से सीसीएल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है और कोषागार आधारित ऑनलाइन प्रणाली आरम्भ की गयी है, अतः इस तरह की अनियमितता की पुनरावृत्ति की कोई सम्भावना नहीं है।

विभाग का उत्तर इस बात की पुष्टि करता है कि धनराशि को व्यपगत होने से बचाने के लिए उसे नियमों के अनुसार समर्पित करने के बजाय, अग्रिम के रूप में दिया गया था।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2023)। उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

निष्कर्ष

लोक निर्माण विभाग के खण्डों ने वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय न की गयी निधियों की बहुत बड़ी धनराशि को समर्पित नहीं किया, अपितु इन्हें तेल कम्पनियों को अग्रिम के रूप में ज्यादातर मार्च के माह में अर्थात् वर्ष के अंत में दिया। तत्पश्चात्, व्यय न किये गये अग्रिम अगले वर्षों में वापस ले लिए गये और गलत लेखा शीर्ष में जमा किये गये और बाद में उपयोग के लिए डीसीएल में परिवर्तित कर लिए गये। इस प्रकार विभाग द्वारा निर्धारित नियमों एवं विनियमों का पालन नहीं करने के कारण वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुसरण नहीं किया गया।

लोक निर्माण विभाग

5.2 अतिरिक्त सड़क परत बिछाने के कारण परिहार्य व्यय

लोक निर्माण विभाग ने वाहन क्षति कारक और यातायात वृद्धि के गलत मानों पर विचार करने के कारण ₹ 6.87 करोड़ का परिहार्य व्यय किया, जिसके परिणामस्वरूप सड़क की परत में डेंस बिटुमिनस मैकैडम एवं बिटुमिनस कंक्रीट की मोटी परत बिछाई गयी।

उत्तर प्रदेश बजट नियमावली के प्रस्तर 205 में निर्दिष्ट किया गया है कि प्रत्येक जन अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वह सार्वजनिक धन से किये जाने वाले व्यय के सम्बन्ध में वही सतर्कता बरतें जो सामान्य विवेकशील व्यक्ति अपने स्वयं के धन के व्यय के सम्बन्ध में बरतेगा।

इंडियन रोड कांग्रेस (आईआरसी): 37-2012 के प्रस्तर 4.2.2 में प्रावधान है कि यदि वाणिज्यिक वाहनों की वार्षिक वृद्धि दर का डाटा उपलब्ध नहीं है, तो 5 प्रतिशत की वृद्धि दर का उपयोग किया जाना चाहिए। अग्रेतर, आईआरसीः 37-2012 के प्रस्तर 4.4.6 में प्रावधान है कि जहां एक्सल लोड्स पर पर्याप्त सूचना उपलब्ध नहीं है, वाहन क्षति कारक (वीडीएफ) का डिफ़ॉल्ट मान 3.5 का उपयोग किया जा सकता है, यदि वाणिज्यिक वाहन प्रति दिन (सीवीपीडी) के संदर्भ में प्रारंभिक यातायात मात्रा 150 से 1500 के मध्य है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने एनएच-44 के चेनेज 96.800 (ललितपुर कैलगुवां मार्ग पर) से विद्युत उत्पादन संयंत्र, बुरागांव (चिगलौवा) (कुल लम्बाई 30 किलोमीटर) तक सड़क के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए ₹ 90.46 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी (जनवरी 2014)। कार्य की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता, झाँसी वृत्त, लोक निर्माण विभाग (लो.नि.वि.), झाँसी द्वारा प्रदान की गयी (जनवरी 2014)। अधीक्षण अभियंता, झाँसी वृत्त, लो.नि.वि. ने कार्य के निष्पादन हेतु प्राक्कलित लागत से 13 प्रतिशत अधिक पर ठेकेदार[9] के साथ अनुबंध पत्र निष्पादित किया (फरवरी 2014)। कार्य फरवरी 2014 में आरम्भ किया गया और अक्टूबर 2015 में पूर्ण हो गया।

अधिशासी अभियन्ता (ईई), प्रांतीय खण्ड, लो.नि.वि., ललितपुर के अभिलेखों की संवीक्षा में (मार्च 2022/जनवरी 2023) लेखापरीक्षा ने पाया कि अपेक्षित एक्सल लोड सर्वे[10] किये बिना, वीडीएफ का मान 3.5 के निर्धारित सांकेतिक मान के स्थान पर, गलत तरीके से 10 के रूप में लिया गया था। अग्रेतर, वार्षिक यातायात वृद्धि दर को भी निर्धारित 5 प्रतिशत के स्थान पर गलत तरीके से 7.5 प्रतिशत लिया गया था।

---

[9] ठेकेदार मेसर्स पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड के साथ संख्या 75/एसई-जेएचएस-सर्कल/ 2013-14 दिनांक 06/02/2014।

[10] बारंबार अनुरोधों के बावजूद खण्ड लेखापरीक्षा को कोई भी सर्वे रिपोर्ट प्रदान करने में विफल रहा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वीडीएफ और वार्षिक यातायात वृद्धि के गलत मानों को अपनाने के कारण, मिलियन स्टैंडर्ड एक्सल (एमएसए) के संदर्भ में डिजाइन ट्रैफिक 85 एमएसए आगणित किया गया, जिसे 22.9 एमएसए होना चाहिए था **(परिशिष्ट-5.5)**। विस्तृत प्राक्कलन के अनुसार, 85 एमएसए के डिज़ाइन ट्रैफिक लोड एवं सीबीआर[11] 6 पर विचार करते हुए, सड़क का निर्माण 260 मिलीमीटर ग्रेन्युलर सब-बेस की मोटी परत, 250 मिलीमीटर का वेट मिक्स मैकेडेम (डब्ल्यूएमएम) के बाद 146 मिलीमीटर डेंस ग्रेडेड बिटुमिनस मैकेडेम (डीबीएम) एवं 50 मिलीमीटर बिटुमिनस कंक्रीट (बीसी) बिछाकर किया जाना था। तथापि, 30 एमएसए[12] के डिज़ाइन ट्रैफ़िक लोड एवं 6 प्रतिशत सीबीआर के लिए अपेक्षित परत को 260 मिलीमीटर जीएसबी, 250 मिलीमीटर डब्लूएमएम, 105 मिलीमीटर डीबीएम और 40 मिलीमीटर बीसी बिछाकर आईआरसीः 37-2012 की प्लेट-4 के अनुसार प्राप्त किया जा सकता था।

इस प्रकार, एमएसए की गणना में वीडीएफ और वार्षिक यातायात वृद्धि दर के गलत मानों को अपनाने के कारण, लो.नि.वि. द्वारा डीबीएम एवं बीसी की अतिरिक्त मोटी परतें बिछाई गयी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6.87 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ **(परिशिष्ट-5.6)**।

उत्तर में, अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, ललितपुर ने बताया कि आईआरसीः 37-2001 के अनुसार वार्षिक यातायात वृद्धि दर 7.5 प्रतिशत ली गयी थी, जिसे प्रारंभिक प्राक्कलन में दर्शाया गया था। अग्रेतर, यह बताया गया कि वास्तविक वीडीएफ सड़क पर चलने वाले यातायात के सिंगल, टेंडेम और ट्राइडेम एक्सल लोड को ध्यान में रखते हुए लिया गया था। विभाग ने दोनों तरफ दोहरे पहिये (प्रति एक्सल 40) के साथ ट्राइडेम एक्सल हेतु यातायात भार के कारण वीडीएफ की गणना[13] 10 के रूप में की है।

आईआरसीः 37-2001 के अनुसार 7.5 की उच्च वार्षिक यातायात वृद्धि दर के सम्बन्ध में उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि परत को आईआरसीः 37-2012 के अनुसार डिजाइन किया गया था, जो 5 प्रतिशत की वार्षिक यातायात वृद्धि प्रदान करता था। अग्रेतर, वीडीएफ को 10 के रूप में लेने का उत्तर भी स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बिना एक्सल लोड सर्वे किये सबसे भारी वाहन के लिए वीडीएफ ले लिया गया था।

प्रकरण सरकार एवं प्रबंधन को प्रतिवेदित किया गया (मार्च 2023)। उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

---

[11] कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियों (सीबीआर) नए कैरिजवे निर्माण के नीचे प्राकृतिक भूमि, सब ग्रेड और बेस कोर्सों की यांत्रिक मजबूती के मूल्यांकन के लिए भेदन परीक्षण है।

[12] प्लेट-4 सीबीआर-6 प्रतिशत से सम्बन्धित पेवमेंट डिजाइन मोटाई और 2 से 150 तक के एमएसए के लिए डिजाइन कैटलॉग है। एमएसए 22.9 के आगणित मान को आईआरसीः 37-2012 में दिये गये 30 एमएसए के अगले मान तक ले जाया गया।

[13] (केएन में एक्सल लोड/224)^4 = वीडीएफ, तात्पर्य (400/224)^4 = 10 है।

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण

5.3 अधिनियमों के प्रावधानों का अनुपालन न करने के कारण राजकोष को हानि

यूपीडा द्वारा स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क के सम्बन्ध में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 एवं पंजीकरण अधिनियम, 1908 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने में लगातार विफलता के परिणामस्वरूप ब्याज एवं पंजीकरण शुल्क के साथ स्टाम्प शुल्क की ₹ 39.61 करोड़ की हानि हुई।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (आईएस अधिनियम, 1899) के प्रावधान[14] उपबंधित करते है कि पट्टा विलेखों से सम्बन्धित लिखतों पर निष्पादन से पहले या निष्पादन के समय प्रतिफल मूल्य के दो प्रतिशत की दर से स्टाम्प लगाया जाना चाहिए और सार्वजनिक कार्यालय के प्रभारी प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी लिखतों पर प्रतिफल मूल्य के दो प्रतिशत की दर से विधिवत स्टाम्प लगाया जाना सुनिश्चित करना चाहिए। अग्रेतर, उत्तर प्रदेश सरकार (उ.प्र. सरकार) द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण (सितम्बर 2019) में अधिसूचित क्षेत्रों[15] में स्थित संपत्तियों के हस्तांतरित दस्तावेजों[16] पर अतिरिक्त दो प्रतिशत स्टाम्प शुल्क की प्रयोज्यता प्रावधानित की गयी। लिखत के निष्पादन की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक गणना की गयी, कम स्टाम्प शुल्क की धनराशि पर प्रति माह डेढ़ प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज प्रभार्य होता है।

इसके अतिरिक्त, पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 में प्रावधान है कि वर्ष-दर-वर्ष या एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए या वार्षिक किराया आरक्षित करने वाले अचल सम्पत्ति के पट्टों के दस्तावेजों को निर्धारित दरों पर अनिवार्य रूप से पंजीकृत किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया (जून 2022) कि उ.प्र. सरकार के स्पष्टीकरण (सितम्बर 2019) के आलोक में, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा

---

[14] धारा 2 (16) पट्टे के अन्तर्गत आने वाले टोलों से सम्बन्धित विलेखों का प्रावधान करती है। धारा 17 में प्रावधान है कि सभी विलेखों पर निष्पादन से पहले या निष्पादन के समय स्टाम्प लगाया जायेगा; अनुसूची 1-बी के अनुच्छेद 35 में पट्टा विलेखों पर दो प्रतिशत स्टाम्प शुल्क लागू करने का प्रावधान है; धारा 40 (आई-ए) स्टाम्प शुल्क की कम जमा हुई धनराशि पर प्रति माह डेढ़ प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का प्रावधान करती है; धारा 33(1) में प्रावधान है कि सार्वजनिक कार्यालय के प्रत्येक प्रभारी व्यक्ति को ऐसी लिखतों पर विधिवत स्टाम्प लगाना सुनिश्चित करना चाहिए।

[15] उ.प्र. नगर सुधार अधिनियम, 1919, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 तथा उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के अधीन अधिसूचित।

[16] टोल प्लाजा पर टोल वसूली के सम्बन्ध में पट्टा विलेख भी सम्मिलित हैं।

पर प्रीमियम की कुल निर्धारित धनराशि के चार प्रतिशत (दो प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क सहित) की दर से स्टाम्प शुल्क प्रभार्य था। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने उत्तर प्रदेश में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एम्बुलेंस और गश्ती वाहनों की तैनाती के साथ-साथ उपयोगकर्ता शुल्क की वसूली और टोल प्लाजाओं के संचालन के लिए तीन पार्टियों के साथ दो वर्ष की अवधि के लिए अपंजीकृत अनुबंध[17] किये। इन अपंजीकृत अनुबंधों द्वारा उक्त एक्सप्रेसवे के लिए उ.प्र. सरकार का टोल शुल्क संग्रहण, दो वर्ष की अवधि के लिए ठेकेदारों को हस्तांतरित कर दिये गये थे। निष्पादित अनुबंधों के विवरण इस प्रकार हैः

क्र. सं.	ठेकेदार का नाम	अनुबंध मूल्य	देय स्टाम्प शुल्क	अनुबंध की तिथि/भुगतान की देय तिथि
1	मेसर्स ईगल इंफ्रा इण्डिया लिमिटेड	4657566898	186302680	12/09/2018
2	मेसर्स सहकार ग्लोबल लिमिटेड	8450190000	338007600	13/10/2020
3	मेसर्स इंदरदीप कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड	3897899999	155916000	14/10/2022

अधिनियमों के मौजूदा प्रावधानों के अनुपालन में, यूपीडा को इन पट्टा अनुबंधों पर चार प्रतिशत की दर से सही मुद्रांकन सुनिश्चित करना चाहिए था और इन अनुबंधों को एक प्रतिशत की दर से पंजीकरण शुल्क जमा करने के बाद पंजीकृत किया जाना अपेक्षित था। किन्तु यूपीडा ने आईएस अधिनियम, 1899 के प्रावधानों के अन्तर्गत सार्वजनिक कार्यालय[18] होने के बावजूद, ठेकेदारों द्वारा न तो सही स्टाम्प शुल्क जमा कराना और न ही इन अनुबंधों का निष्पादन से पहले या निष्पादन के समय पंजीकरण होना सुनिश्चित किया जिसके परिणामस्वरूप कम/विलंबित जमा के कारण ₹ 9.12 करोड़ के ब्याज के साथ, स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क क्रमशः ₹ 13.90 करोड़ एवं ₹ 17 करोड़ कम जमा हुआ **(परिशिष्ट 5.7)**।

यूपीडा ने उत्तर में कहा (मई 2023) कि उ.प्र. सरकार ने इन दस्तावेजों के पंजीकरण की आवश्यकता को इंगित नहीं किया। स्टाम्प शुल्क जमा करने और विधि के अनुसार अन्य अपेक्षाओं के सम्बन्ध में लागू कानूनों का पालन करना ठेकेदार का एकमात्र उत्तरदायित्व था। इसमें अग्रेतर बताया गया कि मेसर्स सहकार ग्लोबल लिमिटेड के प्रकरण में, यूपीडा ने एजेंसी को लागू स्टाम्प शुल्क का भुगतान हेतु बाध्य करने के लिए सभी प्रयास किये और ठेकेदार को सूचित किया गया कि ठेकेदार द्वारा कम स्टाम्प शुल्क जमा करने में विफल रहने की स्थिति में यूपीडा परफॉर्मेंस बैंक गारंटी प्रतिसंहरित कर देगा। इसके बाद, ठेकेदार वाणिज्यिक न्यायालय में चला गया, जहां

[17] सितम्बर 2018, अक्टूबर 2020 और अक्टूबर 2022

[18] उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत गठित संविधिक निकाय या प्राधिकरण के रूप में स्थापित, आईएस अधिनियम, 1899 की धारा 33 (1) के अन्तर्गत अपेक्षित, 27 दिसम्बर 2007 को अधिसूचित किया गया।

प्रकरण पर रोक लगा दी गयी और मामला मध्यस्थता के लिए भेज दिया गया। यूपीडा इस चरण पर, ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई करने में सक्षम नहीं हो सकेगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ऐसे अनुबंधों के पंजीकरण की आवश्यकता अधिनियम में स्पष्ट रूप से निर्धारित की गयी थी। अग्रेतर, आईएस अधिनियम, 1899 की धारा 17 एवं 33 (1) के सन्दर्भ में, यूपीडा सार्वजनिक कार्यालय की सामर्थ्य में पट्टा अनुबंधों पर, उनके निष्पादन के समय या उससे पहले, उचित मुद्रांकन सुनिश्चित करने के अपने दायित्व से बच नहीं सकता।

इस प्रकार, आईएस अधिनियम, 1899 एवं पंजीकरण अधिनियम, 1908 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने में लगातार विफलता के कारण, ब्याज और पंजीकरण शुल्क के साथ स्टाम्प शुल्क के कम जमा होने के कारण राजकोष को ₹ 39.61 करोड़ की हानि हुई।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2023)। उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

5.4 लोकेशन प्रभार की वसूली में विफलता

औद्योगिक भूखण्डों के आवंटन के लिए योजना विवरणिका के नियम एवं शर्तों के उल्लंघन में, जीनीडा आवंटी से ₹ 3.70 करोड़ का लोकेशन प्रभार वसूल करने में विफल रहा।

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (जीनीडा) ने औद्योगिक भूखण्डों के आवंटन के लिए 'ओएनएलआईएनडी 2016-02' (योजना) नाम से एक योजना आरम्भ की (नवम्बर 2016)। योजना विवरणिका में 45 मीटर या उससे अधिक आकार की सड़कों पर स्थित 15 एकड़ एवं उससे अधिक के भूखण्डों के सम्बन्ध में पट्टा विलेख के निष्पादन से पूर्व कुल प्रीमियम के पाँच प्रतिशत की दर से लोकेशन प्रभार के एकमुश्त भुगतान का प्रावधान था। इस प्रकार, जीनीडा को पट्टा विलेख के निष्पादन से पूर्व आवंटी/पट्टाधारक से एकमुश्त लोकेशन प्रभार का आरोपण एवं वसूली सुनिश्चित करना आवश्यक था।

जीनीडा ने सेक्टर ईकोटेक-X ग्रेटर नोएडा में 1,40,633.25 वर्गमीटर (34.75 एकड़[19]) का भूखण्ड संख्या-1, मैसर्स सैमक्वांग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड (आवंटी) को ₹ 74.04 करोड़ के प्रीमियम पर आवंटित किया (14 अगस्त 2019)। आवंटन पत्र के अनुसार, आवंटी को आवंटन पत्र निर्गत

[19] एक एकड़ 4,046.86 वर्गमीटर के बराबर है।

होने के तिथि (14 अगस्त 2019) से 60 दिनों के अंदर अर्थात् 13 अक्टूबर 2019 तक शेष 90 प्रतिशत[20] प्रीमियम अर्थात् ₹ 63.31 करोड़ (कैश डाउन पेमेंट पर लागू पाँच प्रतिशत छूट को समायोजित करने के पश्चात्) का भुगतान करना आवश्यक था। जीनीडा के परियोजना विभाग, भू विभाग, विधि विभाग एवं नियोजन विभाग के अधिकारियों ने पट्टा योजना तैयार की (सितम्बर 2019), जो दर्शाता था कि भूखण्ड 60 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित था।

आवंटी ने शेष धनराशि (₹ 63.31 करोड़) जमा कर दी (14 अक्टूबर 2019)। इसके बाद, जीनीडा ने 60 दिनों के अंदर आवश्यकताओं को पूर्ण करने के पश्चात् पट्टा विलेख के निष्पादन हेतु चेकलिस्ट निर्गत की (05 नवम्बर 2019) जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आवंटी से ₹ 3.70 करोड़ के लोकेशन प्रभार की माँग की गयी।

तत्पश्चात्, आवंटी ने विरोध किया (08 नवम्बर 2019) कि भूखण्ड 30 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित था और शपथ पत्र प्रस्तुत किया (13 दिसम्बर 2019) जिसमें कहा गया कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ), जीनीडा के साथ हुई बैठक के अनुसार, लोकेशन प्रभार का मामला, जीनीडा के बोर्ड के सदस्यों के साथ अगली बैठक तक स्थगित कर दिया गया है। आवंटी ने शपथ पत्र में आगे आश्वासन दिया कि वह ऐसी बोर्ड बैठक के निर्णय का सम्मान करेगा।

लेखापरीक्षा ने पाया (सितम्बर 2022) कि, आवंटी द्वारा दिये गये शपथ पत्र का संज्ञान लेते हुए, उद्योग प्रभाग, जीनीडा ने पट्टा विलेख के निष्पादन हेतु प्रस्ताव दिया (19 दिसम्बर 2019)। अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जीनीडा ने एक उच्च-स्तरीय समिति द्वारा लोकेशन प्रभार के मामले की जाँच का प्रस्ताव रखते हुए, पट्टा विलेख के निष्पादन के मामले को अगले आदेश के लिए सीईओ, जीनीडा को भेज दिया। सीईओ ने निर्देश दिया (20 दिसम्बर 2019) कि लोकेशन प्रभार लगाने के मामले को 10 दिनों के अंदर अंतिम रूप दे दिया जाये, अन्यथा सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे। सीईओ के निर्देश पर की गयी कार्रवाई का कोई विवरण अभिलेख में नहीं मिला। तथापि, जीनीडा के परियोजना प्रभाग ने पुष्टि की (07 जून 2023) कि भूखण्ड 60 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित है।

लेखापरीक्षा ने अग्रेतर पाया कि योजना विवरणिका के नियम एवं शर्तों को अनदेखा करते हुए, जीनीडा ने आवंटी से लोकेशन प्रभार की वसूली सुनिश्चित

[20] आवंटन के लिए पंजीकरण के समय आवंटी द्वारा प्रीमियम का 10 प्रतिशत, अर्थात्, ₹ 7.40 करोड़ का भुगतान किया गया था।

किये बिना पट्टा विलेख निष्पादित (23 दिसम्बर 2019) किया, जिसे पट्टा विलेख निष्पादित करने से पूर्व प्राप्त किया जाना आवश्यक था। अग्रेतर, भूमि का कब्जा भी आवंटी को 27 दिसम्बर 2019 को सौंप दिया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा मामला उठाए जाने के पश्चात्, जीनीडा द्वारा आवंटी को नोटिस निर्गत किये गये (31 जनवरी 2023 एवं 31 मई 2023) जिसमें उन्हें लोकेशन प्रभार (ब्याज सहित) जमा करना आवश्यक था।

इस प्रकार, योजना विवरणिका के प्रावधानों का पालन न करने के कारण, जीनीडा जून 2023 तक आवंटी से ₹ 3.70 करोड़ के लोकेशन प्रभार की वसूली करने में विफल रहा। इसके अतिरिक्त, जीनीडा को उपरोक्त धनराशि पर ₹ 1.04 करोड़[21] के ब्याज की हानि वहन करनी पड़ी।

प्रकरण सरकार एवं प्रबंधन को प्रतिवेदित किया गया (फरवरी 2023)। उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

पर्यटन विभाग

5.5 टूरिस्ट कॉम्पलेक्स एवं मल्टीलेवल पार्किंग के निर्माण पर व्यर्थ व्यय

टूरिस्ट कॉम्पलेक्स एवं मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण विगत पाँच वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ था, जिससे ₹ 24.26 करोड़ का व्यय व्यर्थ हो गया।

उ.प्र. बजट मैनुअल (यूपीबीएम) का प्रस्तर 212 (vii) निर्धारित करता है कि पर्याप्त निधियों की उपलब्धता पहले सुनिश्चित किये बिना, नए पूंजीगत कार्य आरम्भ नहीं किये जाएंगे। विभागों को प्राक्कलित लागत का 40 प्रतिशत प्रथम वर्ष में, 40 प्रतिशत द्वितीय वर्ष में तथा शेष 20 प्रतिशत तृतीय वर्ष में प्रदान करना चाहिये। यूपीबीएम में अग्रेतर कहा गया है कि सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव सभी अधूरी परियोजनाओं की मासिक समीक्षा सुनिश्चित करेंगे और लागत वृद्धि को रोकने एवं बड़ी परियोजनाओं से समय पर प्रतिफल सुनिश्चित करने के लिए, नई परियोजनाएं आरम्भ करने के स्थान पर विद्यमान परियोजनाओं को पूर्ण करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार (उ.प्र. सरकार) ने सैफई, इटावा में बढ़ते पर्यटन को ध्यान में रखते हुए ₹ 28.93 करोड़ की लागत से सैफई, इटावा में टूरिस्ट कॉम्पलेक्स के निर्माण के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान

[21] जनवरी 2020 से जून 2023 की अवधि के लिए 8 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से गणना की गयी जो कि प्राप्त ऋण की धनराशि पर जीनीडा द्वारा भुगतान की गयी दर है।

की (मार्च 2016)। अग्रेतर, विभाग ने पर्यटकों को पर्याप्त पार्किंग सुविधा प्रदान करने के लिए प्रस्तावित टूरिस्ट कॉम्पलेक्स के पास ₹ 41.89 करोड़ की लागत से मल्टीलेवल पार्किंग के निर्माण के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान की (जनवरी 2017)। तथापि, सैफई में फुट-फॉल में वृद्धि के सर्वेक्षण का कोई विवरण लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (यूपीआरएनएन) को दोनों कार्यों के लिए कार्यदायी एजेंसी के रूप में नामित किया गया था। विभाग ने टूरिस्ट कॉम्पलेक्स के निर्माण के लिए कार्यदायी एजेंसी को दो किश्तों में ₹ 20 करोड़ जारी किये (मार्च 2016 एवं अगस्त 2016)। इसी प्रकार, मल्टीलेवल पार्किंग के निर्माण के लिए कार्यदायी एजेंसी को ₹ 16.76 करोड़ जारी किये गये (जनवरी 2017)। इसके बाद और कोई धनराशि निर्गत नहीं की गयी। दोनों कार्यों को ₹ 24.26 करोड़[22] व्यय करने के पश्चात् मार्च 2017 में बंद कर दिया गया था। कार्यदायी एजेंसी, टूरिस्ट कॉम्पलेक्स में 68 प्रतिशत एवं मल्टीलेवल पार्किंग पर 16 प्रतिशत की भौतिक प्रगति प्राप्त कर सकी।

यह देखा गया कि क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी (आरटीओ), लखनऊ ने कार्यदायी एजेंसी से अनुरोध किया था (अप्रैल 2017) कि पहले से जारी धनराशि के अन्दर टूरिस्ट कॉम्पलेक्स एवं पार्किंग सुविधा को सार्वजनिक उपयोग योग्य बनाया जाए क्योंकि इन परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि जारी करना संभव नहीं होगा। तथापि, कार्यदायी एजेंसी ने सूचित किया (अप्रैल 2017) कि उपलब्ध धनराशि से कार्यों को उपयोग हेतु नहीं बनाया जा सकता। तत्पश्चात्, कार्यदायी एजेंसी को मल्टीलेवल पार्किंग कार्य के कार्यक्षेत्र को भूतल स्तर तक संशोधित करने और परियोजना को परिचालनगत करने के लिए संशोधित प्राक्कलन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया (नवम्बर 2017)। कार्यदायी एजेंसी ने इसे सार्वजनिक उपयोग योग्य बनाने के लिए मल्टीलेवल पार्किंग के भूतल कार्यों को पूर्ण करने के लिए विभाग को ₹ 23.53 करोड़ का संशोधित प्राक्कलन प्रस्तुत किया (दिसम्बर 2017), जिसके लिए स्वीकृति अभी भी प्रतीक्षित है (अगस्त 2023)। टूरिस्ट कॉम्पलेक्स के निर्माण के लिए कोई संशोधित प्राक्कलन प्रस्तुत नहीं किया गया था।

अग्रेतर यह देखा गया कि कार्यदायी एजेंसी ने ₹ 24.26 करोड़ के वास्तविक व्यय के सापेक्ष ₹ 35.08 करोड़[23] के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये

---

[22] टूरिस्ट कॉम्पलेक्स के निर्माण पर ₹ 17.88 करोड़ एवं मल्टीलेवल पार्किंग के निर्माण पर ₹ 6.38 करोड़ का व्यय।

[23] टूरिस्ट कॉम्पलेक्स के निर्माण पर ₹ 20 करोड़ एवं मल्टीलेवल पार्किंग के निर्माण पर ₹ 15.08 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र।

अर्थात साइट पर आपूर्तित सामग्री सहित अपेक्षित व्यय की प्रत्याशा में ऐसे ₹ 10.82 करोड़ के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी किये गये थे, जो बिना व्यय के पड़े रहे थे। अग्रेतर, कार्यदायी एजेंसी ने 2016-17 से 2020-21 के दौरान ₹ 1.53 करोड़ की ब्याज धनराशि अर्जित की थी जो विभाग को वापस भी नहीं की गयी थी।

पर्यटन निदेशालय की लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया (मार्च 2022) कि छः वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी कोई धनराशि जारी नहीं की गयी और मार्च 2017 से कार्य अधूरे पड़े थे। यह भी देखा गया कि गलत उपयोगिता प्रमाण पत्र या बिना व्यय के पड़ी हुई धनराशि के लिए कार्यदायी एजेंसी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गयी। फलस्वरूप, दोनों कार्यों पर किया गया ₹ 24.26 करोड़ का पूरा व्यय अवरुद्ध एवं व्यर्थ रहा क्योंकि छः वर्ष से अधिक अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात् कार्य अभी भी अधूरे हैं।

उत्तर में, कार्यदायी एजेंसी ने कहा (अक्टूबर 2022) कि संशोधित प्राक्कलन पर अनुमोदन लंबित था और अप्रयुक्त धनराशि यूपीआरएनएन मुख्यालय में उपलब्ध है। यूपीआरएनएन द्वारा अग्रेतर बताया गया (अगस्त 2023) कि शेष धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्य योजना के अनुसार साइट के निर्माण सामग्री और 1-2 माह के अंदर कुछ निर्माण कार्यों पर अपेक्षित व्यय के सापेक्ष दिये गये थें। तथ्य यह है कि इन कार्यों पर बिना व्यय के सापेक्ष ₹ 10.82 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी जारी किये गये थे।

प्रकरण सरकार एवं प्रबंधन को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2023)। उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

5.6 विद्युत प्रभार का परिहार्य भुगतान

अनुबन्धित भार से वास्तविक विद्युत उपभोग, काफी कम होने के बाद भी भार कम करने में पर्यटन निदेशालय के उदासीन रवैये के कारण ₹ 1.38 करोड़ के विद्युत प्रभार का परिहार्य भुगतान हुआ।

वित्तीय हस्तपुस्तिका (खण्ड-V) का प्रस्तर-169 नियत करता है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को सरकारी कारोबार के लेनदेन के सम्बन्ध में किये गये व्यय में उसी तरह की सतर्कता बरतनी चाहिए जैसा कि एक सामान्य विवेक वाला व्यक्ति अपना धन व्यय करने में बरतता है।

उत्तर प्रदेश विद्युत आपूर्ति संहिता, 2005 (आपूर्ति संहिता) के प्रस्तर 4.41 के

अनुसार, अनुबन्धित भार[24] की कटौती, मांग को अभिलिखित करने के योग्य इलेक्ट्रानिक मीटर को धारण करने वाले उपभोक्ताओं के सभी संवर्ग के लिए अनुज्ञेय होगा, यदि उनका उपभोग पिछले छः माह में या ऐसी अवधि के लिए, जो मौसम को ध्यान में रखते हुए सामान्य उपयोग से कम हो। अग्रेतर, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की दर अनुसूची के सामान्य प्रावधानों के अनुसार, अनुबन्धित भार के 75 प्रतिशत या वास्तविक भार/मांग, जो भी अधिक हो, पर मांग प्रभार, समय-समय पर लागू दरों पर उपभोग की गयी वास्तविक ऊर्जा के लिए शुल्क के साथ उद्ग्राह्य होगा।

लेखापरीक्षा ने पाया (मार्च 2022) कि कार्यालय महानिदेशक, पर्यटन निदेशालय (डीजी, पर्यटन), लखनऊ के पास पर्यटन भवन, लखनऊ की आवश्यकता के लिए 888.88 केवीए का अनुबन्धित भार था और इसकी बिलिंग मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एमवीवीएनएल) द्वारा एचवी-1 श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए दर अनुसूची के अन्तर्गत की जा रही थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि डीजी, पर्यटन की जनवरी 2013 से मार्च 2023 के दौरान वास्तविक मांग 888.88 केवीए के अनुबन्धित भार के सापेक्ष 78.42 केवीए से 481.38 केवीए[25] के बीच थी। फलस्वरूप, डीजी, पर्यटन को एमवीवीएनएल को प्रति माह[26] 666.66 केवीए के लिए मांग/निर्धारित प्रभारों का भुगतान करना पड़ा, जबकि महानिदेशक, पर्यटन का वास्तविक भार अनुबन्धित भार से बहुत कम था। इसलिए, अधिक भुगतान से बचने के लिए, डीजी, पर्यटन को आपूर्ति संहिता के प्रावधान (प्रस्तर 4.41) के अनुसार अपना भार कम करके 490 केवीए[27] करना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा ने अग्रेतर पाया कि यद्यपि डीजी, पर्यटन ने एमवीवीएनएल को विगत एक वर्ष के बिलों के आधार पर अनुबन्धित भार को 400 केवीए तक कम करने के लिए पत्र (अप्रैल 2015) भेजा था, परन्तु जून 2022 तक वास्तविक मांग पैटर्न के अनुसार भार को कम करने के लिए कोई आगे की कार्रवाई/पत्राचार नहीं किया गया। लेखापरीक्षा में मामला इंगित करने के पश्चात् ही, जुलाई 2022 से एमवीवीएनएल के साथ आगे का अनुश्रवण किया गया और अप्रैल 2023 से अनुबन्धित भार को घटाकर 450 केवीए कर दिया गया।

---

[24] "अनुबन्धित भार" का अर्थ है केडब्ल्यू, केवीए या बीएचपी में अधिकतम विद्युत भार जिसे अनुज्ञप्तिधारी आपूर्ति करने के लिए सहमत है, जो कनेक्टेड भार से भिन्न हो सकता है और पार्टियों के बीच समझौते में परिलक्षित होता है।

[25] मार्च 2020 में न्यूनतम 78.42 केवीए एवं जुलाई 2019 में अधिकतम 481.38 केवीए।

[26] 888.88 केवीए के अनुबन्धित भार का 75 प्रतिशत।

[27] विगत 10 वर्षों के दौरान खपत के आधार पर अनुमानित अधिकतम भार।

इस प्रकार, जनवरी 2013 से मार्च 2023 के दौरान वास्तविक उपभोग के आधार पर अनुबन्धित भार को कम करने में डीजी, पर्यटन की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.38 करोड़ **(परिशिष्ट-5.8)** की सीमा तक मांग प्रभार और सम्बन्धित प्रभार का परिहार्य भुगतान हुआ जो कि डीजी, पर्यटन के सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा वित्तीय विवेक के सिद्धांतों का पालन न करने एवं खराब अनुश्रवण के कारण हुआ।

उत्तर में प्रबंधन ने कहा (अप्रैल 2023) कि लेखापरीक्षा की आपत्ति के अनुसार, भार 888.88 केवीए से घटाकर 450 केवीए करवा लिया गया और तदनुसार अप्रैल 2023 से बिल 405 किलोवाट के लिए दिया गया। उत्तर स्वतः व्याख्यात्मक है क्योंकि अप्रैल 2023 में दर्ज किया गया लोड 450 केवीए के घटे हुए अनुबन्धित भार के अंदर था और इस प्रकार आपूर्ति संहिता के प्रावधानों एवं वित्तीय विवेक के सिद्धांतों का पालन करके ₹ 1.38 करोड़ के भुगतान से बचा जा सकता था।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (नवम्बर 2022)। उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

लेखापरीक्षा प्रभाव

निम्नलिखित प्रकरण में लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर वसूली की गयीः

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

5.7 वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु शुद्ध वर्तमान मूल्य का कम आरोपण

पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार (एमओईएफ, भारत सरकार) ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत गैर-वानिकी उद्देश्य के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) के संग्रह के लिए दिशा-निर्देश निर्गत किये (5 फरवरी 2009)। दिशा-निर्देशों ने गैर-वानिकी उद्देश्य के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु वन के मूल्य एवं श्रेणी के आधार पर प्रयोक्ता एजेंसी से एनपीवी के संग्रह के लिए 16 प्रमुख वन प्रकारों को छः पारिस्थितिकी (इको) श्रेणी में पुनर्समूहित किया।

लेखापरीक्षा ने पाया (फरवरी 2022) कि प्रभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) गोरखपुर ने 79.76 हेक्टेयर वन भूमि को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (प्रयोक्ता एजेंसी) को व्यपवर्तित करते हुए एनपीवी की गणना के लिए सघन वन के इको-श्रेणी-I (₹ 9.39 लाख प्रति हेक्टेयर) के बजाय, सघन वन के इको श्रेणी-III (₹ 8.03 लाख प्रति हेक्टेयर) की एनपीवी की दर गलती से उपयोग में ली, जिससे प्रयोक्ता एजेंसी से ₹ 1.08 करोड़ (79.76 हेक्टेयर के लिए

₹ 1.36 लाख प्रति हेक्टेयर) की धनराशि की एनपीवी का कम प्रभारण हुआ।

उत्तर में, प्रबंधन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया (दिसम्बर 2022) और पहले से जमा की गयी धनराशि ₹ 6.40 करोड़ को समायोजित करने के पश्चात् वन को इको श्रेणी-I मानते हुए जैसा कि लेखापरीक्षा प्रेक्षण में इंगित किया गया था, ₹ 14.37 लाख प्रति हेक्टेयर की संशोधित दरों (जनवरी 2022) पर प्रयोक्ता एजेंसी से ₹ 5.05 करोड़ वसूल किये।

तान्या सिंह

लखनऊ
दिनांक 15 नवम्बर 2024

(तान्या सिंह)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II),
उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक 18 NOV 2024

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक